**To Provide Compensation to the Farmers**

**\*56 SH.SHISHPAL SINGH KEHARWALA, M.L.A.:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

1. the total acreage of crops affected due to flood in State;
2. the total acreage of crops affected due to flood in distric Sirsa and
3. whether the compensation is likely to be provided by the Government to the farmers who have suffered the loss of crops togetherwith the norms on which basis the amount of compensation will be fixed alongwith the details thereof?

  **SH. DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA**

1. The total area of crops damaged as per the claims of the farmers in the E-shatipurti portal due to recent flood in the State as on 25.08.2023 is 687586 acre.
2. The total area of crops affected as per the claims of the farmers in the E-shatipurti portal due to recent flood in Sirsa District as on 25.08.2023 is 6574 acre.

c) Yes Sir. The State Government has launched a dedicated portal i.e. <https://ekshatipurti.haryana.gov.in/> to ease the process of submission of claims by the affected farmers. The disbursement of compensation shall be done after completion of the verification as per the norms of State Disaster Response Fund (SDRF), following the due procedure. The State norms for crops losses are as under:-

|  |  |
| --- | --- |
| **Govt. of India Norms** | **Haryana State Norms** |
| **Drought, earthquake, flood, fire, hailstorm, cold wave/frost, landslide, cloud burst and pest attack** | **Flood/standing water, electric sparking, fire, heavy****rain, hailstorm, pest attack and dust storm** |
|  **Damage** | **Norms** | **Damage** | **Norms** |
| Wherecroploss is 33% and above | Rs. 8500/- per ha. i.e.Rs. 3441/- per acre in rainfed sown areas and Rs. 17000/- per ha. i.e. Rs. 6883/- per acre in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs. 1000 in rainfed areas or Rs. 2000 in assured irrigated areas and restricted to sown areas. | ≥ 25 to< 33 % | **Rs. 9000/- per acre**( Wheat, paddy, cotton and sugarcane)**Rs. 7000/- per acre** (Mustard and otherCrops) |
| ≥ 33 to< 50 % | **Rs. 9000/- per acre**( Wheat, paddy, cotton and sugarcane)**Rs. 7000/- per acre** (Mustard and otherCrops) |
| ≥ 50 to< 75 % | **Rs. 12000/- per acre**( Wheat, paddy, cotton and sugarcane )**Rs. 9000/- per acre** (Mustard and other Crops) |
| ≥75 and above | **Rs. 15000/- per acre**( Wheat, paddy, cotton and sugarcane )**Rs. 12500/-per acre** (Mustard and other crops. |
| **In case of drought, cold wave/frost, earthquake,****landslide and cloud burst** |
| Wherecrop loss is 33% and above | Rs. 7000/- per acre in assured irrigated areas and Rs. 3500/- per acre in rainfed areas. |

 **किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराना**

**\*56** **श्री शीशपाल सिंह केहरवाला, एम.एल.ए.:-**

 क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे किः-

क) राज्य में बाढ़ के कारण कुल कितने एकड़ फसलें प्रभावित हुई;

ख) सिरसा जिले में बाढ़ के कारण कुल कितने एकड़ फसलें प्रभावित हुई; तथा

ग) क्या फसलों के नुकसान को वहन करने वाले किसानों को सरकार द्वारा मुआवजा दिए जाने की संभावना है तथा किस नियम के आधार पर मुआवजे की राशि निर्धारित की जाएगी तथा उसका ब्यौरा क्या है?

 **श्री दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री, हरियाणा**

क) राज्य में हाल में आई बाढ़ के कारण दिनांक 25.08.2023 को ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों द्वारा किये गये दावों अनुसार क्षतिग्रस्त फसलों का कुल क्षेत्रफल 687586 एकड़ है।

ख) सिरसा जिले में हाल में आई बाढ़ के कारण दिनांक 25.08.2023 को ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों द्वारा किये गये दावों अनुसार प्रभावित फसलों का कुल क्षेत्रफल 6574 एकड़ है।

ग) हाँ, श्रीमान जी। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों द्वारा दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक समर्पित पोर्टल यानी <https://ekshatipurti.haryana.gov.in/> लॉन्च किया है। मुआवजे का वितरण राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के मानदंडों के अनुसार सत्यापन पूरा होने के बाद उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। फसलों के नुकसान के लिए राज्य के मानदंड इस प्रकार हैं :-

|  |  |
| --- | --- |
| भारत सरकार के नार्मज  | हरियाणा राज्य के नार्मज  |
| सूखा] भूकम्प] बाढ़] आग] ओलावृष्टि] शीत लहर/पाला] भूस्खलन] बादल फटना] चक्रवात] सुनामी] हिमस्खलन और कीट हमले | बाढ़/जलभराव] बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग] आग] भारी बारिश] ओलावृष्टि] कीट हमले तथा धूल भरी आंधी |
| खराबा | नार्मज  | खराबा | नार्मज |
| जहां फसल खराबा 33 प्रतिशत या इससे अधिक हो | 8500/- रूपये प्रति हैक्टेयर जो कि3441/-रूपये प्रति एकड बीजा हुआ असिंचित क्षेत्र और 17000/-रूपये प्रति हैक्टेयर जो कि6883/- रूपये प्रति एकड बीजा हुआ सिंचित क्षेत्र] न्यूनतम सहायता कम से कम 1000/- रूपये असिंचित क्षेत्र और 2000/- रूपये सिंचित क्षेत्र और बोए गए क्षेत्र तक सीमित | ≥ 25 से < 33 तक | 9000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू] धान] कपास और गन्ना)7000/-रूपये प्रति एकड़ (सरसों और अन्य फसलें) |
| ≥ 33 से < 50 तक | 9000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू] धान] कपास और गन्ना)7000/-रूपये प्रति एकड़ ( सरसों और अन्य फसलें) |
| ≥ 50 से < 75 तक | 12000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू] धान] कपास और गन्ना)9000/-रूपये प्रति एकड़ ( सरसों और अन्य फसलें) |
| ≥ 75 से अधिक | 15000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू] धान] कपास और गन्ना)12500/-रूपये प्रति एकड़ ( सरसों और अन्य फसलें) |
| सूखा] शीत लहर/पाला] भूकम्प] भूस्खलन] बादल फटना के केस में |
| खराबा | नार्मज |
| जहां फसल खराबा 33 प्रतिशत या इससे अधिक हो | 7000/- रूपये प्रति एकड बीजा हुआ सिंचित क्षेत्र और 3500/- रूपये प्रति एकड असिंचित क्षेत्र  |